रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 2001/चैत्र 22, 1923
No. 238] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 2001/CHAITRA 22, 1923

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2001

का.आ. 330 (अ).—जबकि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 58 की उपधारा (4) के अनुसरण में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एम. पी .एस. ई. बी.) का गठन किया है और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सी. एस. ई. बी.) का गठन किया है और दोनों सरकारों ने केन्द्र सरकार से ऐसे प्रावधान बनाने का अनुरोध किया है जिससे इस प्रकार गठित बोर्ड जिम्मेवारी, परिसम्पत्तियों, अधिकारो और देयताओं को ग्रहण कर सके।

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठके उनके संबंधित मत प्राप्त करने के लिए बुलाई है।

अब, इसीलिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 58 की उपधारा (4) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त मतों पर उचित विचार करने के बाद केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है नामश :—

1. **इस आदेश में**

(क) ''विद्यमान बोर्ड'' से आशय मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड है (जैसा कि यह नवम्बर 2000 माह के प्रथम दिन के पूर्व था) और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 58 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी है।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य के सम्बंध में ''उत्तराधिकारी बोर्ड'' से आशय मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एम. पी. एस. ई. बी.) और छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सी. एस. ई. बी.) है।

2. मौजूदा बोर्ड की परिसंपत्तियां, देयताएं, अधिकार एवं जिम्मेवारी अनंतिम रूप से 15-4-2001 से निम्नानुसार उत्तराधिकारी बोर्डों को हस्तांतरित हो जाएंगी।

(i) **परिसंपत्ति**

(क) दोनों में से किसी भी राज्य में स्थित नियत परिसंपत्ति (भूमि एवं भवन, संस्थापित संयंत्र एवं मशीनरी, पारेषण एवं वितरण प्रणाली आदि) राज्य के उत्तराधिकारी राज्य विद्युत बोर्ड को हस्तांतरित हो जाएंगी।

(ख) गतिशील परिसंपत्ति एवं क्षेत्र इकाई के स्टोर को स्थान के आधार पर हस्तांतरित की जाएगी। प्रधान कार्यालय के स्टोर, फर्नीचर एवं वाहन विभाजन खरीद वर्ष के अनुसार परियो/स्कीमविशिष्ट स्टोर को छोड़कर 1762:4857 के आबादी अनुपात में किया जाएगा, जिनका आबंटन संबंधित उन राज्य विद्युत बोर्ड को किया जाएगा जिन्हें परियोजना/स्कीम संबंधी देयताएं सौंपी गई हैं।

(ii) **देयताएं**

(क) मौजूदा बोर्ड की परियोजना/परिसंपत्ति विशिष्ट देयता उस राज्य उत्तराधिकारी को हस्तांतरित कर दी जाएगी जिसे परिसंपत्ति आबंटित की गई है।

(ख) मौजूदा बोर्ड की वे देयताएं जिन्हें उप-खंड (क) के अन्तर्गत किसी भी परिसंपत्ति के साथ नही रखा जा सकता, का विभाजन छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के उत्तराधिकारी बोर्ड के बीच 1762:4857 के आबादी अनुपात में किया जाएगा। कुल देयताओं के निर्धारण एवं उक्त मानदंड के अनुसार वर्गीकरण करने तथा उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर उत्तराधिकारी राज्यों के बीच देयताओं के आबंटन पर केन्द्र सरकार को सिफारिश देने हेतु उत्तराधिकारी राज्यों के बीच परस्पर परामर्श से एक स्वतंत्र एजेन्सी/परामर्शदाता नियुक्त किये जाएंगे। यदि इस आदेश के जारी होने से पन्द्रह दिनों के अन्दर परामर्शदाता नियुक्ति के संबंध में उत्तराधिकारी राज्य किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते, तो केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार की लागत पर 1762:4857 के आबादी अनुपात में एक स्वतंत्र एजेन्सी/परामर्शदाता नियुक्त करेगी।

(iii) **अधिकार :**

उत्तराधिकारी बोर्डों को संबंधित राज्य के क्षेत्र के भीतर स्थित उपभोक्ताओं से राजस्व/बकाया राशियों को एकत्रित करने का अधिकार होगा।

(iv) **संविदाएं :**

इस उत्तराधिकारी बोर्ड को संविदा प्रदान की जाएगी जिसे स्कीम अथवा परिसम्पत्तियां, जिनके लिए संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं, हस्तांतरित की गई है।

(v) **कर्मचारी :**

विद्यमान बोर्ड के कर्मचारियों को उत्तराधिकारी बोर्डों को उस प्रकार आबंटित किया जाएगा जिस पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों के मध्य सहमति हुई है।

(vi) **विद्युत संबंधी व्यवस्था :**

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 75 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को देखते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आदेश देती है कि मध्य प्रदेश राज्य के पास छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की पूर्ति के पश्चात् अधिशेष विद्युत को (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड को अब हस्तांतरित विद्यमान बोर्ड के स्टेशनों द्वारा उत्पादित विद्युत) परस्पर रूप से सहमत दर पर अथवा अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर खरीदने का प्रथम अधिकार होगा।

[सं. 42/8/2000—आर एंड आर]

पी. आई. सुव्रतन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 12th April, 2001

S.O. 330 (E).—Whereas the Government of the State of Chhattisgarh have constituted the Chhattisgarh State Electricity Board(CSEB) and the Government of the State of Madhya Pradesh have constituted the Madhya Pradesh State Electricity Board

(MPSEB) in pursuance of sub-section (4) of Section 58 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000, and both the State Governments have requested the Central Government to make provisions enabling the Boards so constituted to take over undertakings, assets, rights and liabilities etc.;

And whereas the Central Government convened meetings with the representatives of the Government of Madhya Pradesh and the Government of Chhattisgarh to ascertain their respective views ;

Now, therefore, in exercise of powers conferred upon it by clause (a) of sub-section (4) of Section 58 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000, after due consideration of views expressed by representatives of both the State Governments, the Central Government, hereby makes the following orders, namely :-

1. In this Order –

   (a) 'existing Board' means the Madhya Pradesh Electricity Board (as it existed before the 1st day of November, 2000) and continued under sub-section (1) of Section 58 of the Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000 ;

   (b) 'successor Boards' means in relation to the State of Madhya Pradesh the Madhya Pradesh State Electricity Board (MPSEB) and in relation to the State of Chhattisgarh, the Chhattisgarh State Electricity Board (CSEB).

2. The assets, liabilities, rights and undertakings of the existing Board shall provisionally pass on to the successor Boards w.e.f 15/4/2001.in the following manner :

(i) Assets :

   (a) Fixed assets (land and buildings, installed plants and machinery, transmission and distribution systems, etc.) situated in the either State will pass on to the successor SEB of that State.

   (b) Movable assets and stores of the field units shall be transferred on the basis of location. Stores, furniture and vehicles of the Head Office shall be apportioned according to the year of purchase in the population ratio of 1762 : 4857, except the project/scheme-specific stores which shall be allocated to the concerned SEBs to whom the project/scheme related liabilities are being transferred.

(ii) Liabilities :

   (a) Project/ Asset specific liability of the existing Board shall be passed on to the State/successor Board to which the asset has been allocated.

   (b) The liabilities of the existing Board which cannot be assigned under sub-clause (a) to any asset shall be apportioned between the successor Boards of Chhattisgarh and Madhya Pradesh in the

population ratio of 1762 : 4857. For purpose of ascertaining the total liabilities and their classification as per criterion above and make recommendation to the Central Government on the allocation of liabilities between the successor States according to the principles narrated above, an independent agency/consultant shall be appointed by mutual consultations between the successor States. If the successor States fail to reach an agreement on the consultant within a period of fifteen days from the issue of this order, the Central Government shall appoint an independent agency/consultant at the cost of the Government of Chhattisgarh and the Government of Madhya Pradesh to be shared on the population ratio of 1762 : 4857.

(iii) Rights :

The successor Boards shall have the right to collect revenues/arrears from consumers located within the territory of the concerned State.

(iv) Contracts :

The Contracts shall be assigned to the successor Board to whom the scheme, or assets, for which contract has been entered have been transferred.

(v) Employees :

Employees of the existing Board shall be allocated to the successor Boards in the manner agreed upon between the States of Chhattisgarh and Madhya Pradesh.

(vi) Arrangement regarding Power :

In view of the powers conferred by sub-section (1) of section 75 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Central Government hereby orders that the State of Madhya Pradesh shall have the first right to purchase the power (generated by the stations of existing Board now transferred to the Chhattisgarh State Electricity Board) that may be in surplus for the State of Chhattisgarh after meeting its demand, at a rate to be agreed mutually, failing which the rate to be decided by the Chairman, Central Electricity Authority.

[No. 42/8/2000-R&R]

P. I. SUVRATHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.